भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1438

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 मार्च, 2016 को दिया गया)

लंबित मामले

1438. श्री गोपाल शेट्टी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय से संबंधित मामलों की विभिन्न न्यायालयों में बढ़ती संख्या चिन्ता का विषय है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए कोई प्रणाली बनाने हेतु किसी विशेषज्ञ समूह को गठित या गठन प्रस्तावित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख): मंत्रालय को ऐसे मामलों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यह मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 1956/2013 का प्रशासन करता है, जिसमें चूककर्ता कंपनियों और उनके चूककर्ता निदेशकों/अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन मामलों की फाइलिंग शामिल है और ये मामले देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं।

(ग) और (घ): जी, नहीं।

*****